

शुभलाराम व अन्य पनाम न्यायालय
डी. नं. 26/2022

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	13/08/22	<p>पगावली काण्ड डिनांक को प्रामाणिक लोक अदालत कृप्य के पत्र के प्रकारान वाकपुत्र सूचना उपस्थित प्रकारान से उपस्थित नहीं को अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही। अतः पगावली वाकपुत्र उपस्थित कार्यवाही प्रवृत्त डिनांक 26/08/22 को मूल न्यायालय में पेश हो।</p>
18	26/08/22	<p>पगावली पेशा डक अधिकारान उपस्थित उपस्थित वएस कार्यवाही डी. नं. पर सुनी गई। मूलवाक प्रकारान से मध्य वाकपुत्र प्रमि के कार्य मीरस प्रेड वाकपुत्र विधिक विभाजन से सम्बन्धित हो जिसे सम्बन्ध में उपस्थित प्रकारान की प्रवृत्ति एवं अधिकारान मिथ्यादि सम्भाव्य तक की कोई माग्य। शोपचारिक आपत्ति उपस्था किसे को प्रकार का कोई परिरोध। रवेंडन की प्रवृत्ति नहीं हो के आधार पर प्राथमिक डिकी पारित की गई है। इसका प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में की किसी मी प्रकार का कोई प्रकार/कार्य/ रवेंडन व परिरोध काण डिनांक तक की न्यायालय दफा में प्रवृत्त नहीं किसे सम्बन्धित है। अतः वाकपुत्र व न्यायालय के प्रवृत्त उपस्थित कारान को मूलवाक के अन्तिम मिथ्यादि तक जसि अस्थाड मिथ्यादि</p>

फाद अहकाम

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जामेर
मुख्यालय-जयपुर

गुजलाराम व अन्य बनाम रामपाल
क्रमा संख्या / वर्ष 26/2022
पार्थनापत्र ही काठ

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/8/22	<p>के पावन किया जाता है कि वे राम कालीधारी सह. कामेर जिला जयपुर स्थित वाड मधीन भूमि आ.सं. जं. 468/1, 469/1, 470/1, 499, 500 कुल रक्तरा कित 5 कुल एकका 1.74 हे. के सन्धर्म माफे की अक्षीकति फनाय रखें तथा भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण आदि ना करे। विरासत गौनातकाण, रहने की प्रक्रिया के सन्धर्म में निषेधाज्ञा फादई प्रताकी नहीं होगा। निर्णय आज्ञा दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रतावली पुरकल शुमार हेकर दर्ज नम्बर से कम हो। फाद नफील सैलगन मुलकाप हो।</p>	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जामेर
मुख्यालय-जयपुर